IDHR

इलिनॉय राज्य
मानव अधिकार विभाग

प्रतिवादी के लिए मार्गदर्शिका

ILLINOIS DEPARTMENT OF
Human Rights

प्रदत सेवाएं

इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम क्या प्रावधान करता है

क्या होता है जब एक आरोप दायर किया जाता है

मानव अधिकार का इलिनॉय विभाग

> इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (Illinois Department of Human Rights ("IDHR"), इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम ("अधिनियम") को लागू करने के लिए जिम्मेदार राजकीय एजेंसी है।
>
> **मिशन**
> IDHR का मकसद, इलिनॉय राज्य के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों को गैरकानूनी भेदभाव से मुक्ति दिलाना और इस राज्य की नीति के रूप में अपने सभी निवासियों के लिए समान अवसर और सकारात्मक कार्रवाई को स्थापित करना और बढ़ावा देना है।

IDHR द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

एक प्रवर्तन एजेंसी होने के अलावा, IDHR कई तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है और कंपनियों, एजेंसियों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ साझेदारी में काम करते हुए उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता है:

सार्वजनिक अनुबंध: इलिनॉय में किसी भी राजकीय इकाई के साथ व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाले सभी कर्मचारियों और कंपनियों को सार्वजनिक अनुबंध इकाई के माध्यम से पंजीकरण करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने समान रोजगार अवसर और सकारात्मक कार्रवाई सम्बन्धी नीतियों को लागू किया है और इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम और IDHR के नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। सार्वजनिक अनुबंधों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, IDHR की वेबसाइट illinois.gov/dhr/PublicContracts पर उपलब्ध है।
यह इकाई, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यौन उत्पीड़न रोकथाम नीतियाँ तैयार करने में भी मदद करती है, जिसमें एक मॉडल नीति भी शामिल है जो illinois.gov/dhr/PublicContracts/Pages/Sexual_Harassment_Model_Policy.aspx पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

प्रशिक्षण: प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान ("संस्थान"), कार्यस्थल में और घर पर दोनों जगह विविध संस्कृतियों के बीच सम्मान को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण को पूरे इलिनॉय में आयोजित करता है। प्रमाणित प्रशिक्षक, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का उपयोग करते हुए, निष्पक्ष रोजगार कानूनों और प्रथाओं, बेहतर समझ, और गैर-भेदभाव सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे यौन उत्पीड़न की रोकथाम करके

मतभेदों का समाधान करने के तरीकों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। स्वतंत्र अध्ययन और नौकरी सम्बन्धी संदर्भ साधनों के लिए हैंडआउट्स की आपूर्ति की जाती है। संस्थान को मानव संसाधन प्रमाणन संस्थान द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वह मानव संसाधन प्रमाणन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के सत्र प्रदान किए जाते हैं। ऑन-साइट प्रशिक्षण के लिए शुल्क लागू हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए या प्रशिक्षण का समय निर्धारित करने के लिए, (312) 814-2477 पर कॉल करें या संस्थान की वेबसाइट Illinois.gov/dhr/Training पर जाएं।

एक विभाग वक्ता से अनुरोध करें: IDHR के प्रतिनिधि, इलिनॉय में भेदभाव का आरोप दायर करने और संसाधित करने से संबंधित एजेंसी नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बोलने के लिए उपलब्ध हैं। इन विषयों में कानून के तहत समूहों और व्यक्तियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। एक वक्ता अनुरोध फॉर्म, IDHR की वेबसाइट illinois.gov/dhr/AboutUs/Pages/Request_Speaker.aspx पर उपलब्ध है।

कानून और आपकी जिम्मेदारियां

इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम (775 ILCS 5)[1] किसी व्यक्ति की जाति, रंग, धर्म, लिंग (गर्भावस्था और यौन उत्पीड़न सहित), राष्ट्रीय मूल, वंश, उम्र, संरक्षण आदेश स्थिति, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, यौन अभिविन्यास (लिंग पहचान सहित), नागरिकता की स्थिति, रोजगार में भाषा प्रतिबंध, रोजगार और आवास में गिरफ्तारी रिकॉर्ड, आवास में पारिवारिक स्थिति (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले परिवार), इत्यादि के आधार पर रोजगार, वित्तीय ऋण, सार्वजनिक आवास और अचल संपत्ति सम्बन्धी लेनदेन के संबंध में भेदभाव करने से रोकता है।

रोज़गार: कानून, लोगों को काम पर रखने, चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, कार्यकाल, सेवामुक्ति और अनुशासन सहित रोजगार के सभी नियमों और शर्तों के मामले में भेदभाव से बचाता है।

अचल संपत्ति सम्बन्धी लेनदेन (आवास): आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति को बेचने या किराए पर देने के मामले में भेदभाव करना गैरकानूनी है। ऐसे भेदभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- किसी व्यक्ति के साथ किसी अचल संपत्ति सम्बन्धी लेनदेन में शामिल होने से इनकार करना
- लेनदेन के नियमों, शर्तों या विशेषाधिकारों को बदलना।

[1] इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम ("अधिनियम") https://ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs5.asp?ActID=2266&ChapterID=64 पर उपलब्ध है।

- बंधक ऋण पर सौदेबाज़ी या प्रादान करने से इनकार करना।
- गलत जानकारी देना कि संपत्ति किराये या बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
- निषिद्ध भेदभाव को दर्शाने वाले विज्ञापन, फ़ॉर्म या प्रश्नों का उपयोग करना।

वित्तीय क्रेडिट: इलिनॉय में व्यवसाय करने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को वाणिज्यिक या व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रदान करने में भेदभाव करना मना है।

सार्वजनिक आवास: सार्वजनिक आवास के किसी भी स्थान, जैसे एक व्यवसाय, मनोरंजन, आवास, मनोरंजन, या परिवहन सुविधा केंद्र द्वारा सुविधाओं, वस्तुओं और सेवाओं के सम्पूर्ण और समान आनंद में भेदभाव करना, गैरकानूनी है।

शिक्षा में यौन उत्पीड़न: कानून के तहत, एक सार्वजनिक या निजी शैक्षणिक संस्थान में एक कार्यकारी, शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, या शिक्षण सहायक द्वारा यौन प्रकृति की अवांछित प्रगति या छात्रों के यौन पक्ष के अनुरोधों को प्रतिबंधित करता है, जब इस तरह का व्यवहार, छात्र के प्रदर्शन में हस्तक्षेप करता हो; एक डरावना, शत्रुतापूर्ण या आक्रामक माहौल तैयार करता हो; या शैक्षणिक या पाठ्येतर अवसरों से संबंधित एक नियम या शर्त हो। किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी प्रतिनिधि के खिलाफ निवारक कार्रवाई या उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में विफल होना भी गैरकानूनी है
जो ऐसे संस्थान द्वारा नियोजित किया गया हो जब ऐसे संस्थान को यौन उत्पीड़न के बारे में पता हो।

IDHR के साथ, निम्नलिखित आरोप लगाते हुए, आपके या आपके संगठन, कंपनी या एजेंसी के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है:

1. आपने एक कवर्ड व्यक्ति के साथ भेदभाव किया;
2. आचरण, संरक्षित वर्गों में से एक में व्यक्ति की स्थिति पर आधारित था; और
3. आचरण, पांच कवर्ड क्षेत्रों में से एक में था।

IDHR के साथ, अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर आरोप दायर किया जाना चाहिए।

क्या होता है जब एक आरोप दायर किया जाता है?

का नाम शामिल होता है तो अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर नामित प्रतिवादी को जानकारी के लिए एक आरंभिक अनुरोध और आरोप की एक कॉपी दी जाएगी।

आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- **आरोप से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा;**
- **किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध से बचना होगा जिसने आरोप दायर किया है या उससे संबंधित जांच में किसी अन्य प्रकार से भाग लिया है। एक व्यक्ति जो यह मानता है कि उसके खिलाफ प्रतिशोध किया गया है, वह IDHR में एक आरोप दायर कर सकता है; और**
- **निर्दिष्ट तिथि तक IDHR के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आपको आरोप का एक औपचारिक उत्तर भी दाखिल करना पड़ सकता है, और उत्तर देने में विफल रहने पर आपके खिलाफ एक डिफ़ॉल्ट खोज शुरू हो सकती है।**

मध्यस्थता

एक मध्यस्थता सम्मेलन एक जांच का एक विकल्प है और एक आरोप का जल्दी समाधान कर सकता है। मध्यस्थता एक अनौपचारिक, लागत रहित प्रक्रिया है जिसमें शिकायतकर्ता और प्रतिवादी अपनी इच्छा से एक प्रशिक्षित और प्रमाणित IDHR मध्यस्थ से मुलाकात करते हैं जो आरोप के संभावित समाधान का पता लगाने में उनकी मदद करता है। मध्यस्थता प्रक्रिया, गोपनीय होती है।

मध्यस्थता के दौरान (जिसमें चार घंटे या उससे अधिक समय लग सकता है), वकील, सलाहकार की भूमिका में उपस्थित रह सकते हैं। IDHR का मध्यस्थ, पक्षों पर निर्णय नहीं थोपता है। एक निपटान समझौते को स्वीकार करने का मतलब, प्रतिवादी द्वारा अपराध को स्वीकार करना नहीं है।

निपटान की शर्तों में मौद्रिक और/या गैर-मौद्रिक तत्व शामिल हो सकते हैं। मध्यस्थता समझौता होने के बाद, दोनों पक्षों के पास निपटान से बाहर निकलने के लिए 10 दिनों का समय होता है (जिसे माफ किया जा सकता है)। यदि
पक्ष एक समझौते पर पहुंचने में असमर्थ होते हैं तो आरोप पर जांच का काम शुरू हो जाएगा।

जांच

यदि पक्ष, मध्यस्थता में भाग नहीं लेते हैं या मध्यस्थता असफल रहती है तो मामला, जांच चरण में चला जाता है। IDHR की जांच में सहयोग करना प्रतिवादियों और शिकायतकर्ताओं की जिम्मेदारी है। IDHR के पास प्रासंगिक दस्तावेजों और व्यक्तियों को हाजिर करने का हुक्म देने का भी अधिकार होता है।

IDHR की भूमिका, आरोप में लगे अभियोगों की निष्पक्ष जांच करना है। मामले को देखने के लिए नियुक्त किया गया जांचकर्ता, प्रासंगिक गवाहों से संपर्क और साक्षात्कार कर सकता है और दोनों पक्षों से प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त कर सकता है।

तथ्य-खोजी सम्मेलन

दोनों पक्षों को एक तथ्य-खोजी सम्मेलन में भाग लेना पड़ सकता है, जो एक IDHR जांचकर्ता द्वारा आयोजित एक बैठक होती है। तथ्य-खोजी सम्मेलन जांच का एक माध्यम है जिसे एक सम्पूर्ण जांच या एक स्वैच्छिक निपटान करने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक पक्ष, विवाद के सम्बन्ध में अपनी बात सामने रखता है और विरोधी पक्ष की बात का जवाब देता है। बिना किसी अच्छे कारण के तथ्य-खोजी सम्मेलन में भाग लेने में विफल होने पर शिकायतकर्ता के आरोप को खारिज किया जा सकता है या प्रतिवादी को कसूरवार ठहराया जा सकता है।

यदि एक तथ्य-खोजी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो कोई भी पक्ष एक वकील लेकर आ सकता है यदि वकील ने "उपस्थिति की सूचना" दर्ज की हो। हालांकि, इस मामले में वकील, सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं और वे सम्मेलन में गवाही नहीं दे सकते हैं, सिवाय उन मामलों के, जिनके बारे में उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान है, और वे किसी भी पक्ष से सीधे प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं।

जरूरी नहीं कि किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसी वकील द्वारा ही किया जाए। जांचकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्षों को अपने तथ्य और सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण और निष्पक्ष अवसर मिले। एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व न किया जाने वाला शिकायतकर्ता, सलाह और नैतिक समर्थन के लिए एक मित्र या रिश्तेदार को सम्मेलन में लेकर आ सकता है; लेकिन, वह व्यक्ति सिर्फ उन्हीं मामलों में गवाही दे सकता है, जिनके बारे में उसे आरोप से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान हो। इसके अलावा, शिकायतकर्ता, इस सम्मेलन में एक दुभाषिये को लेकर आ सकता है या, जरूरत पड़ने पर, IDHR एक दुभाषिये की सेवा का उपयोग कर सकता है। गवाह भी तथ्य-खोजी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे जांचकर्ता के विवेक पर उपस्थित होंगे।

जांचकर्ता, पक्षों से सवाल पूछेगा और शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को बारी-बारी से दूसरे पक्ष के बयानों का जवाब देने और/या खंडन करने का अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान दोनों पक्षों को अपनी स्थिति के समर्थन में दस्तावेज या गवाही पेश करने की अनुमति है। जांचकर्ता, आरोप की जांच करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पहचान और अनुरोध कर सकता है।

जांचकर्ता, अनौपचारिक तरीके से बयानों और प्रतिक्रियाओं को नोट करता है। IDHR के विनियमों के अनुसार, ये जांच नोट, विशेष होते हैं और इन्हें किसी भी पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। यह सम्मेलन एक औपचारिक सुनवाई नहीं है और IDHR, स्टेनोग्राफिक ट्रांसक्रिप्ट्स प्रदान नहीं करता है।

यदि जांचकर्ता, एक तथ्य-खोजी सम्मेलन का आयोजन नहीं करता है, तो जांचकर्ता, पत्र (पत्रों), फोन, साइट पर साक्षात्कार या व्यक्तिगत सम्मेलनों के माध्यम से शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादियों के साथ अलग-अलग संपर्क करके तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करेगा।

निष्कर्ष और परिणाम

जांच के बाद, एक लिखित रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें यह सिफारिश की जाती है कि अधिनियम के उल्लंघन के “पर्याप्त सबूत” हैं या नहीं। “पर्याप्त सबूत” की खोज का अर्थ है कि तथ्य की एक तिकड़ी के द्वारा तय किए जाने वाले अभियोग के लिए पर्याप्त सबूत हैं और शिकायतकर्ता के पास अधिनियम में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर निम्नलिखित कार्य करने का विकल्प है:

1) अनुरोध करना कि IDHR, शिकायतकर्ता की तरफ से इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (“आयोग”), एक राजकीय एजेंसी के पास एक शिकायत दर्ज करे जो अधिनियम के तहत दायर शिकायतों पर सुनवाई करती है; या

2) उपयुक्त स्थल वाली राजकीय सर्किट कोर्ट में एक दीवानी कार्रवाई शुरू करना। यदि आयोग या सर्किट कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की जाती है, तो वह फोरम, गवाही सुनेगा, सबूत देखेगा और निर्धारित करेगा कि गैरकानूनी भेदभाव हुआ है या नहीं।

आवास सम्बन्धी मामलों में या यदि शिकायतकर्ता, IDHR से आयोग के पास एक शिकायत दर्ज करने का अनुरोध करता है, तो आरोप को हल या “समाधान” करने में पक्षों की मदद करने के लिए एक IDHR वकील को नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई निपटान समझौता नहीं होता है, तो IDHR, शिकायतकर्ता की तरफ से आयोग के पास नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करेगा। शिकायतकर्ता को आयोग के सामने मामले को साबित करना होता है।

यदि IDHR को भेदभाव के “पर्याप्त साक्ष्य की कमी” का पता चलता है, तो आरोप खारिज कर दिया जाएगा। अधिनियम में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, शिकायतकर्ता के पास विकल्प होता है कि या तो 1) आयोग के साथ समीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल करे, या 2) उपयुक्त स्थान के राज्य सर्किट कोर्ट में दीवानी कार्रवाई शुरू करे।

यदि प्रतिवादी आरोप के लिए समय पर औपचारिक प्रतिक्रिया दर्ज करने में विफल रहा हो (जब IDHR द्वारा आवश्यक हो), या तथ्य-खोज सम्मेलन में भाग लेने में विफल रहा हो, तो डिफ़ॉल्ट की सूचना दर्ज की जा सकती है। अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिवादी आयोग द्वारा समीक्षा के लिए अनुरोध दायर कर सकता है। आयोग के अंतिम आदेशों के खिलाफ उपयुक्त अपीलीय अदालत में अपील की जा सकती है।

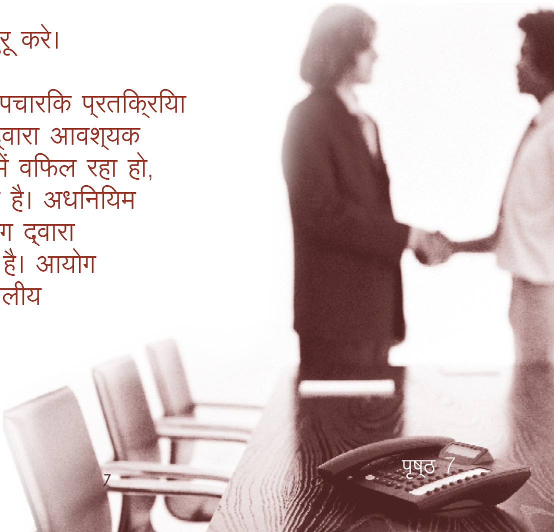

इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

एक जांच को समाप्त करने की समय अवधि के बारे में अधिनियम में बताया गया है और उसे पक्षों की लिखित सहमति से बढ़ाया जा सकता है। IDHR, जांच को समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। हालांकि, जांचकर्ता, जांच को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यदि एक या दोनों पक्ष एक विस्तार पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, और यदि IDHR, अधिनियम में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर कोई निष्कर्ष जारी नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता, आयोग के पास एक शिकायत दर्ज कर सकता है या उपयुक्त स्थल वाली एक राजकीय सर्किट कोर्ट में एक दीवानी कार्रवाई शुरू कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता, अधिनियम में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर आयोग के पास एक शिकायत दर्ज नहीं करता है या राजकीय सर्किट कोर्ट में एक दीवानी कार्रवाई शुरू नहीं करता है, तो मामले पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। (आवास सम्बन्धी मामलों में विस्तार की जरूरत नहीं पड़ती है और जांच को अधिनियम में निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना अव्यावहारिक न हो।)

इलिनॉय मानवाधिकार आयोग

यह आयोग एक अलग राजकीय एजेंसी है जो IDHR या शिकायतकर्ता द्वारा दायर किए गए भेदभाव के आरोपों से संबंधित शिकायतों पर सार्वजनिक सुनवाई करती है, और IDHR द्वारा भेदभाव के आरोप को खारिज किए जाने की समीक्षा करती है। यह आयोग, अधिनियम द्वारा परिभाषित गैरकानूनी भेदभाव के विवादों को हल करने वाली एक तटस्थ न्यायिक एजेंसी है। तीन सदस्यों वाले पैनलों में, सात आयुक्त, एक IDHR जांच के बाद IDHR द्वारा भेदभाव के आरोपों को खारिज किए जाने की समीक्षा करते

हैं। यदि आयोग, बर्खास्तगी को पलट देता है, तो एक शिकायतकर्ता या IDHR, आयोग के प्रशासनिक कानून अनुभाग (ALS) में एक शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि आयोग, IDHR की बर्खास्तगी को कायम रखता है, तो एक शिकायतकर्ता, इलिनॉय अपीलीय न्यायालय में एक अपील दायर कर सकता है।

अपने ALS अनुभाग के माध्यम से, पक्ष, भेदभाव के आरोपों से जुड़ी शिकायतों पर मुकदमा करती हैं। प्रशासनिक कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया, अनुभवी प्रशासनिक कानूनी न्यायाधीशों (ALJ) के सामने प्रस्तुत की जाती है। पक्षों का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जा सकता है या वे एक वकील के बिना भी मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। लिखित खोज और मध्यस्थता सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला, सभी पक्षों के लिए भी उपलब्ध रहती है।

यदि शिकायतकर्ता, ALS में सफल होता है, तो न्यायाधीश,

शिकायतकर्ता को अधिनियिम द्वारा अनुमत "संपूर्ण" उपाय प्रदान करने का आदेश दे सकता है। इन उपायों में वापस वेतन, खोए हुए लाभ, कार्मिक फ़ाइल का समाशोधन, भावनात्मक क्षति, भर्ती, पदोन्नति, बहाली, अग्रिम वेतन जहां बहाली संभव नहीं है, और वकील की फीस और लागतें शामिल हो सकती हैं। अधिनियिम में, दंडात्मक हर्जाने या नियोक्ता को दंडित करने के लिए हर्जाने की बात नहीं कही गई है।

आयोग और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पर जाएं:

संघीय एजेंसियों और संघीय न्यायालय के साथ संबंध

शिकायतकर्ता के संघीय अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, IDHR, स्वचालित रूप से अमेरिकी समान रोजगार अवसर आयोग ("EEOC") के साथ सुयोग्य रोजगार आरोपों को क्रॉस-फाइल करता है, और एजेंसियों के वर्कशेयरिंग समझौते की शर्तों के तहत EEOC की जांच करता है। इसी तरह, आवास सम्बन्धी मामलों को अमेरिकी आवास एवं शहरी विकास विभाग ("HUD") के साथ क्रॉस-फाइल किया जाता है।

एक रोजगार सम्बन्धी आरोप में शिकायतकर्ता, किसी भी समय संघीय न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए EEOC से "एक मुकदमा करने का अधिकार नोटिस" जारी का अनुरोध कर सकता है। यदि संघीय न्यायालय में उसी मुद्दे पर एक शिकायत दायर की गई है जिस मुद्दे पर IDHR के साथ दायर की गई थी, और शिकायतकर्ता ने IDHR आरोप वापस नहीं लिया है, तो प्रतिवादी को IDHR को शिकायत की एक कॉपी प्रदान करनी चाहिए,
और IDHR आम तौर पर जांच को प्रशासनिक रूप से खारिज कर देगा। IDHR की तटस्थ भूमिका को ध्यान में रखते हुए, IDHR के प्रतिनिधि शिकायतकर्ताओं या प्रतिवादियों को कानूनी सलाह नहीं दे सकते हैं।

भेदभाव को रोकने के लिए सुझाव:

- स्वयं को, अपने प्रबंधन कर्मचारियों और अपने कर्मचारियों को कानूनी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित करें।
- स्पष्ट नीतियां विकसित और कार्यान्वित करें और उनका लगातार पालन करें।
- नीतियों को पोस्ट करके और सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर यौन उत्पीड़न और अन्य भेदभाव को रोकें।
- भेदभाव सम्बन्धी शिकायतों की तुरंत जांच करें, और जरूरत पड़ने पर, तत्काल निवारक कार्रवाई करें।
- रिकॉर्ड रखें।

ILLINOIS DEPARTMENT OF Human Rights

आरोप लगाने का तरीका

(8/24/18 को प्रभावी)

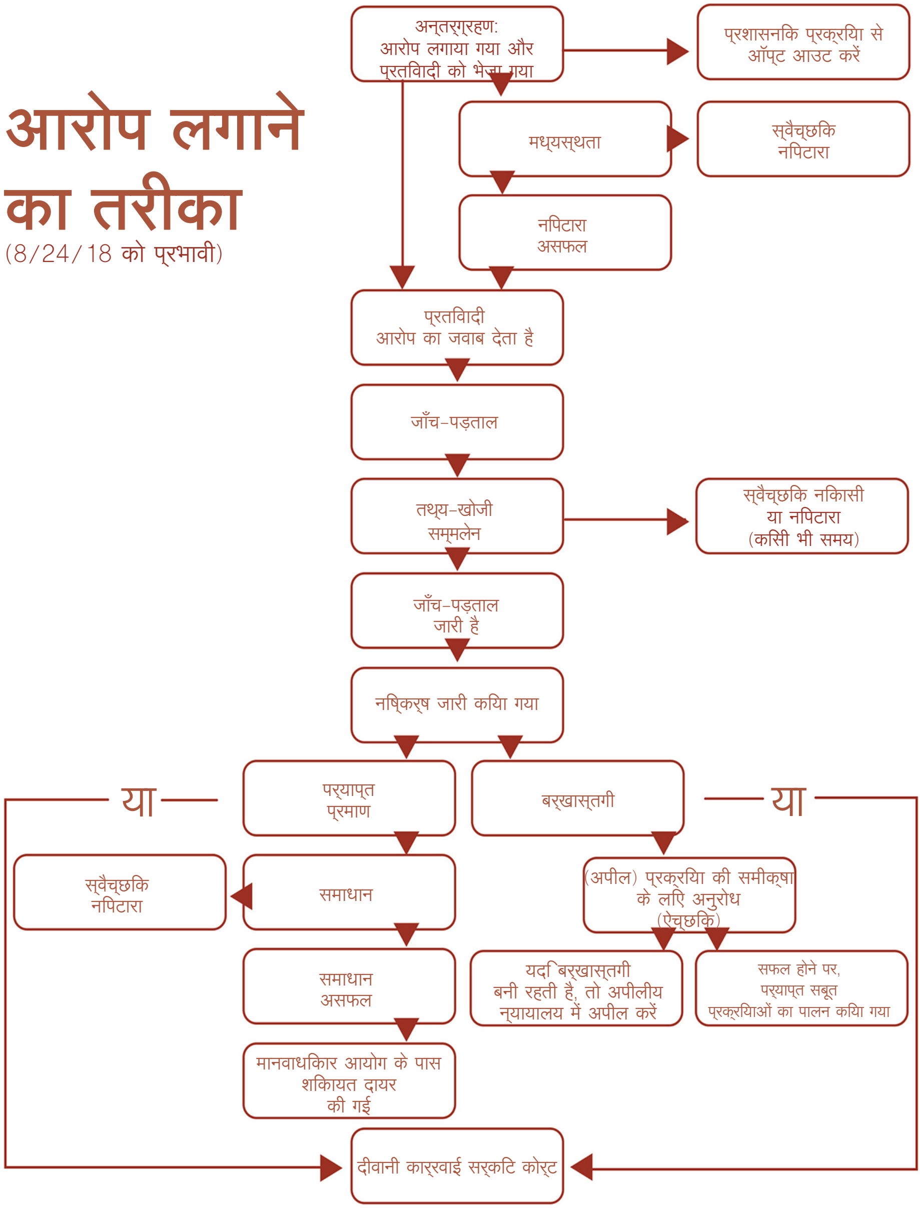

IDHR द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं

प्रशिक्षण: प्रशिक्षण एवं विकास संस्थान ("संस्थान"), कार्यस्थल में और घर पर दोनों जगह विविध संस्कृतियों के बीच सम्मान को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण को पूरे इलिनॉय में आयोजित करता है। प्रमाणित प्रशिक्षक, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का उपयोग करते हुए, निष्पक्ष रोजगार कानूनों और प्रथाओं, बेहतर समझ, और गैर-भेदभाव सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे यौन उत्पीड़न की रोकथाम करके मतभेदों का समाधान करने के तरीकों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। स्वतंत्र अध्ययन और नौकरी सम्बन्धी संदर्भ साधनों के लिए हैंडआउट्स की आपूर्ति की जाती है। संस्थान को मानव संसाधन प्रमाणन संस्थान द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वह मानव संसाधन प्रमाणन के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के सत्र प्रदान किए जाते हैं। ऑन-साइट प्रशिक्षण के लिए शुल्क लागू हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए या प्रशिक्षण का समय निर्धारित करने के लिए, (312) 814-2477 पर कॉल करें।

सकारात्मक कार्रवाई प्रवर्तन: राजकीय एजेंसी संपर्क इकाई, समान रोजगार अवसर और सकारात्मक कार्रवाई ("EEO/AA") का पालन करने के लिए राजकीय कार्यकारी एजेंसियों की निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह इकाई विकलांगता वाले कर्मचारियों ("ICED") पर राज्य इंटरएजेंसी समिति की एजेंसी का भी प्रतिनिधित्व करती है।

सार्वजनिक अनुबंध: इलिनॉय में किसी भी राज्य इकाई के साथ व्यापार करने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों और कंपनियों को 365 दिन की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए सार्वजनिक अनुबंध इकाई के माध्यम से एक योग्य बोलीदाता संख्या के लिए पंजीकरण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्होंने समान रोजगार नीतियों को लागू किया है और वे IDHR नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं।

शिक्षा और आउटरीच: आउटरीच स्टाफ, IDHR की जनसंपर्क शाखा है। मानवाधिकारों के मुद्दों के बारे में जनता को सूचित रखने के लिए चल रहे प्रयास में, यह स्टाफ, समुदाय और नागरिक संगठनों के लिए तैयार की जाने वाली कार्यसभाओं, प्रशिक्षण, आयोजनों और कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, और मीडिया आउटलेट्स और आम जनता की तरफ से जानकारी के लिए किए गए अनुरोधों का जवाब देते हैं।

ILLINOIS DEPARTMENT OF
Human Rights

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

कार्यालय और साक्षात्कार के घंटों को सत्यापित करने के लिए कृपया (312) 814-6200 पर सीधे IDHR से संपर्क करें या idhr.webmail@illinois.gov पर ईमेल करें।

वेबसाइट: www.illinois.gov/dhr

शिकागो में:
555 West Monroe Street 7th Floor
Chicago, IL 60661
(312) 814-6200 या (800) 662-3942
(866) 740-3953 (TTY)
(312) 814-6251 फैक्स

स्प्रिंगफील्ड में:
535 West Jefferson Street 1st Floor
Springfield, IL 62702
(217) 785-5100
(866) 740-3953 (TTY)
(217) 785-5106 फैक्स

मैरियन में:
2309 W. Main St.
Marion, IL 62959
(618) 993-7463
(866) 740-3953 (TTY)
फैक्स: (618) 993-7464

यह पुस्तिका, IDHR की प्रमुख सेवाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक सामान्य मार्गदर्शक के रूप में प्रदान की गई है। यह मार्गदर्शिका भेदभाव के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी और कोई भी व्यक्तिगत मामला वर्णित से अलग तरीके से आगे बढ़ सकता है। IDHR के विशिष्ट नियम और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें यह हरेक मामले पर लागू करता है। वर्णित किसी भी विषय के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अपने नजदीकी IDHR कार्यालय को कॉल करें।

विकलांग अमेरिकी अधिनियम, 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504 और इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम का पालन करते हुए IDHR यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ और उपयोग योग्य हैं। ADA समन्वयक (217)785-5119 (वॉयस) या (866) 740-3953(TTY) पर, अनुपालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकता है।

IDHR गैर-अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों के लिए मुफ्त भाषा सहायता सेवाएं प्रदान करता है।

मानव अधिकार का इलिनॉय विभाग
प्रतिवादी के लिए मार्गदर्शिका

हिंदी अनुवाद का अनुरोध: उत्तरदाताओं के लिए IDHR गाइड / (वेब) IOCI22-0122 (हिंदी)